



उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3
संख्या-23/2026/192के-2/22-3-2025-17(330)/25
लखनऊ: दिनांक: 21 जनवरी, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-473 (दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-432) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी बसन्त चौरसिया (बंदी संख्या-17460) पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार, निवासी-खितौरा बाजार, थाना-सिहोरा, जनपद-जबलपुर (मध्य प्रदेश राज्य), जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-141/2007 में भा0द0वि0 की धारा-364ए, 120बी/364ए के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0 अधिनियम), झाँसी के आदेश दिनांक 14-01-2015 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, द्वारा दिनांक 10-01-2025 तक भोगी गई 17 वर्ष, 02 माह, 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष, 01 माह, 19 दिन की सपरिहार सजा, जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी की आयु 47 वर्ष होने तथा संतोषजनक जेल आचरण होने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरुद्ध रखा जाना वांछित न हो, तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, झाँसी के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या व तदनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, झाँसी/जबलपुर (मध्य प्रदेश राज्य)।
- 3- पुलिस अधीक्षक, जबलपुर (मध्य प्रदेश राज्य)।
- 4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
- 5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रि0) संख्या-491/2022 बिलकीस याकूब रसूल बनाम भारत संघ व अन्य तथा सम्बद्ध रिट याचिकाओं, विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के सन्दर्भ में।
- 6- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।